कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) गरियाबंद (छ0ग0)

e-mailId-actd.gariaband.cg @nic.in phone No. 07706-241439

क्रमांक/631/आदि.वि./सीधी भर्ती/2023 गरियाबंद, दिनांक 29/05/2023

-: विज्ञापन की सूचना :-

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 13–1/2023/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.05.2023 एवं कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/सा.स्था.3/भर्ती–24/2023/1096 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार **आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास** विभाग अंतर्गत गरियाबंद जिले के तृतीय श्रेणी (सहायक ग्रेड–03/डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक) एवं चतुर्थ श्रेणी (नियमित भृत्य) के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा किये जाने हेतु निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 01.06.2023 से दिनांक 15.06.2023 तक आमंत्रित किया जाता है।

ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु जिला गरियाबंद के वेबसाईट https://gariaband.gov.in/ में मेनू नोटिस (Notice) के सबमेनू भर्ती (Recruitment) में लिंक दिनांक 01.06.2023 से उपलब्ध रहेगी। विज्ञापन का विस्तृत विवरण जिले के वेबसाईट https://gariaband.gov.in/ में अपलोड हैं या कार्यालयीन समय पर कार्यालय के सूचना पटल पर देखा जा सकता हैं।

"कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित"।

प्रभारी अधिकारी,
आदिवासी विकास गरियाबंद

क्रमांक/632/आदि.वि./सीधी भर्ती/2023 गरियाबंद, दिनांक 29/05/2023

प्रतिलिपि –

01. संचालक, जनसंपर्क, रायुपर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास अंतर्गत जिले के तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड–03/डाटा एंट्री ऑपरेटर/वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी भृत्य के रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन 02 दैनिक समाचार पत्रों में इसका संक्षित प्रकाशन कर समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु भेजने का कष्ट करें।
02. कलेक्टर, जिला–गरियाबंद की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, गरियाबंद की ओर सूचनार्थ। जिले के वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।
04. सहायक संचालक, जनसपंर्क गरियाबंद की ओर दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
05. जिला रोजगार अधिकारी, गरियाबंद को सूचनार्थ।
06. कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा हेतु।

प्रभारी अधिकारी,
आदिवासी विकास गरियाबंद

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) गरियाबंद (छ0ग0)

e-mailId-actd.gariaband.cg @nic.in phone No. 07706-241439

क्रमांक/ 633 /आदि.वि./सीधी भर्ती/2023 गरियाबंद, दिनांक 29/05/2023

—: विज्ञापन :—

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 13–1/2023/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.05.2023 एवं कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/सा.स्था.3/भर्ती–24/2023/1096 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08.05.2023 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा राज्य को नियुक्तियाँ एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किये जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप **आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग** अंतर्गत गरियाबंद जिले के तृतीय श्रेणी (सहायक ग्रेड–03/डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक) एवं चतुर्थ श्रेणी (नियमित भृत्य) के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा किये जाने हेतु निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र **दिनांक 01.06.2023 से दिनांक 15.06.2023** तक आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की विधि :– ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु जिला गरियाबंद के वेबसाईट https://gariaband.gov.in/ में मेनू नोटिस (Notice) के सबमेनू भर्ती (Recruitment) में लिंक **दिनांक 01.06.2023** से उपलब्ध रहेगी।

पद अनुसार वर्गवार रिक्तियां

क्र.	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छ.ग. के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतनमान
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	सहायक ग्रेड–03	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	लेवल–04 19500/–
2	डाटा एंट्री ऑपरेटर (कम्प्युटर)	01	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02	लेवल–06 25300/–
3	वाहन चालक	01	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02	लेवल–04 19500/–
4	नियमित भृत्य	01	0	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03	लेवल–01 15600/–
	योग :–	04	0	03	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08	

(रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हैं। पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती हैं।)

निर्देश :–

01. यह विज्ञापन विभागीय सेवा भर्ती नियम के अध्यधीन होगी।
02. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये किये जाने वाले चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतरिम आदेश/निर्णय दिनांक 01.05.2023 के अध्याधीन होगी।

03. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं। आवेदक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये छ.ग. का मूल निवासी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

04. छ.ग. के किसी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक हैं। दस्तावेज सत्यापन के दौरान पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

05. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के आवेदकों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

06. छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा मान्य संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर विषय से संबंधित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **(सहायक ग्रेड–03/डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु)**

07. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3/ दिनांक 27.09.2014 की कंडिका–8 के अनुसार केवल ऐसे निःशक्तजन संगत सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे दस्तावेज सत्यापन के दौरान निर्धारित प्रारूप में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

08. पदों के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताऐं न्यूनतम हैं और इन अर्हताओं के होने मात्र से ही आवेदक नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।

09. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन प्रस्तुत करें। चयन की किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाए जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।

10. विज्ञापन जारी होने की तिथि में समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताऐं पूर्ण होना अनिवार्य हैं अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत किया जायेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद की तिथि में प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

11. आयु संबंधी प्रमाण पत्र हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा 5वी/10 वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. **आयु सीमा** – अभ्यर्थी की आयु 01.01.2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष हों। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र क./एफ 3–2/2015/3/एक नया रायपुर दिनांक 17.12.2015 के तहत आयु सीमा हेतु जारी अन्य छूट भी लागू रहेगी एवं उक्त परिपत्र की कंडिका 03 अनुसार सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के पश्चात् अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु के समर्थन हेतु संबंधित प्रमाण पत्र/अंकसूची दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी –

- **यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमीलेयर का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।**
- **छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा** 38 **वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।**

- **ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप उच्चतम आयु सीमा तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण – छटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छ माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।**
- **ऐसे अभ्यर्थी को जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो। (छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र. /1-3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।**
- **सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।**
- **स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।**
- **छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।**
- **आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर** आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- **राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।**
- **छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।**
- **सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/ एक--3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों / पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/ पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।**

13. आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य हैं।
14. त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन तत्काल अमान्य कर दिये जावेंगें।
15. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र – छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार के अधीन कार्यरत शासकीय/अर्द्धशासकीय आवेदक सीधे आवेदन कर सकते हैं, परंतु इसके तुरंत पश्चात् अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक सीधे विभाग को भेजने के लिए निवेदन भी कर देना चाहिए, जिसकी प्रति आवेदक को नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से प्राप्ति की अभिस्वीकृति सहित नियुक्ति के समय विभाग को प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् यदि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं तो यह मान लिया जावेगा कि नियोजक को आपत्ति नहीं हैं। आवेदक विभाग को अनापत्ति हेतु प्रेषित अपने आवेदन में इस शर्त का स्पष्ट उल्लेख करेंगें।

16. नियुक्ति प्राधिकारी – नियुक्ति कलेक्टर, जिला गरियाबंद द्वारा की जावेगी।

17. विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती हैं। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

18. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी अथवा प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पायी जाती हैं तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी। साथ ही वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

19. राज्य शासन/केन्द्रीय शासन द्वारा अवचार के दोषी/निलंबित/बर्खास्त/ब्लैक लिस्टेड किया हुआ व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

20. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जायेगा।

21. चयनित उम्मीदवार चारित्रिक सत्यापन उनकी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् पुलिस अधीक्षक से कराया जायेगा और पुलिस अधीक्षक से अयोग्य प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जावेगी।

22. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से काई हो :–

(अ) पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। इसीप्रकार महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

(ब) जो किसी आपराधिक प्रकरण में सजायाफ्ता हो।

23. परिवीक्षा अवधि –

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

प्रथम वर्ष	–	उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70 प्रतिशत।
द्वितीय वर्ष	–	उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 80 प्रतिशत।
तृतीय वर्ष	–	उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 90 प्रतिशत।

परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगें।

24. शैक्षणिक योग्यता/अर्हताऐं :–

- **सहायक ग्रेड–03 पद हेतु योग्यता :–**

01. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्त्तीर्ण।

अथवा

पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण

02. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा,

03. कम्प्यूटर में हिन्दी टाईपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति होना चाहिए। (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जावेगी।

- **डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद हेतु योग्यता :–**

01. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्त्तीर्ण।

अथवा

पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

कक्षा 10 वी परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवार्षीय डिप्लोमा।

02. डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जावेगी।)

- **वाहन चालक पद हेतु योग्यता :-**

01. पूर्व माध्यमिक 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण।
02. चार पहिये वाहन (LMV) चलाने का जीवित/वैद्य ड्रायविंग लाइसेंस।
03. वाहन चालक पद हेतु ड्रायविंग टेस्ट लिया जावेगा।

- **नियमित चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) हेतु योग्यता :-**

01. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कम से कम 5 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
02. अर्हकारी परीक्षा में पूर्णांक/प्राप्तांक की जगह ग्रेडिंग पद्धती से अगर मूल्यांकन किया गया है, तो जिस संस्था-स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की गई हैं उनके प्रमुख से उक्त ग्रेड को पूर्णांक एवं प्रतिशत में परिवर्तित कर प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगें। जिस पर चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
03. जो उम्मीद्वार समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा 5वीं की अंकसूची के साथ आवेदन करेगें वह यह सुनिश्चित करेगें कि उनके द्वारा समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने के पूर्व के वर्षो में किसी भी बोर्ड/संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण नहीं की गई है। कार्यालय के संज्ञान में आने पर तथा जांच में इसकी पुष्टि होने पर कि पूर्व के वर्षो में कक्षा 5वी उत्तीर्ण होते हुये भी केवल नियुक्ति पाने के परियोजन से उम्मीदवार के द्वारा समतुल्यता प्रमाण पत्र कक्षा 5वीं उत्तीर्ण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे उम्मीद्वार का आवेदन पत्र अथवा नियुक्ति आदेश निरस्त कर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

25. चयन प्रक्रिया –

- विस्तृत चयन प्रक्रिया पृथक से जारी किया जावेगा।
- चयन, लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा के मेरिट के माध्यम से किया जायेगा।
- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।

26. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के सदस्यों को किसी भी प्रकार के अनुचित माध्यमों से प्रभावित करने की कोशिश करने या अनावश्यक दबाव डालने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
27. विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्ते/निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार कलेक्टर, जिला गरियाबंद का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।
28. चयन के पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी को बुलाया जावेगा। जिस पर चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
29. आरक्षण नियम का पालन किया गया हैं।

''कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित''।

प्रभारी अधिकारी,
आदिवासी विकास गरियाबंद

पृ. क्रमांक/ 634/आदि.वि./सीधी भर्ती/2023 गरियाबंद, दिनांक 29/05/2023

प्रतिलिपि –

01. संचालक, जनसंपर्क, रायुपर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास अंतर्गत जिले के तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड–03/डाटा एंट्री ऑपरेटर/वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी भृत्य के रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन 02 दैनिक समाचार पत्रों में इसका संक्षित प्रकाशन कर समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु भेजने का कष्ट करें।
02. कलेक्टर, जिला–गरियाबंद की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, गरियाबंद की ओर सूचनार्थ। जिले के वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।
04. सहायक संचालक, जनसपंर्क गरियाबंद की ओर दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
05. जिला रोजगार अधिकारी, गरियाबंद को सूचनार्थ।
06. कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा हेतु।

29/05/23

प्रभारी अधिकारी
आदिवासी विकास गरियाबंद

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार